

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 जनवरी 2024-पौष 29, शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुराना नाम संगीता चौरड़िया (जो मेरे विवाह से पूर्व का नाम था). यह नाम मेरे बैंक खाते एवं शेयर सर्टिफिकेट्स पर भी दर्ज है तथा अन्य दस्तावेजों में मेरा नया नाम संगीता भारतीय दर्ज है, सो मुझे मेरे परिचित, रिश्तेदार, समाजजन अब मुझे नए नाम संगीता भारतीय के नाम से जाने पहचानें और पुकारें व सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जाए.

पुराना नाम
(संगीता चौरड़िया)

नया नाम
(संगीता भारतीय)

पति-स्वर्गीय विजय कुमार भारतीय,
निवासी-05, अशोक मार्ग खाचरोद,
जिला उज्जैन (म.प्र.).

(G-104)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुराना नाम अलका चौरड़िया (जो मेरे विवाह से पूर्व का नाम था). यह नाम मेरे बैंक खाते एवं शेयर सर्टिफिकेट्स पर भी दर्ज है तथा अन्य दस्तावेजों में मेरा नया नाम अलका सेठिया दर्ज है, इस प्रकार मैंने अपना नया नाम अलका सेठिया ग्रहण कर लिया हैं. सो अब मुझे मेरे परिचित, रिश्तेदार, समाजजन नए नाम अलका सेठिया के नाम से जाने पहचाने और पुकारें तथा सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जाए.

पुराना नाम
(अलका चौरड़िया)

नया नाम
(अलका सेठिया)

पति-राजेश कुमार सेठिया,
निवासी-मकान नम्बर 40, नाईगली जावरा,
जिला रतलाम (म.प्र.).

(G-105)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा वास्तविक व सही नाम राहुल गुप्ता पिता सुशील चन्द्र गुप्ता (RAHUL GUPTA S/o SHRI SUSHIL CHANDRA GUPTA) है तथा मेरा घरेलू नाम राहुल कुमार गुप्ता पिता सुशील चन्द्र गुप्ता (RAHUL KUMAR GUPTA S/o SHRI SUSHIL CHANDRA GUPTA) है। इस प्रकार उक्त दोनों नाम मेरे ही होकर एक ही व्यक्ति के हैं। मैंने अब अपना नाम राहुल गुप्ता पिता सुशील चन्द्र गुप्ता (RAHUL GUPTA S/o SHRI SUSHIL CHANDRA GUPTA) ही रख लिया है तथा भविष्य में मैं, अपने वास्तविक व सही नाम राहुल गुप्ता पिता सुशील चन्द्र गुप्ता (RAHUL GUPTA S/o SHRI SUSHIL CHANDRA GUPTA) से जाना-पहचाना व संबोधित किया जाऊंगा।

(राहुल गुप्ता),

पिता-सुशील चन्द्र गुप्ता,

निवासी-अन्नपूर्णा मंदिर, 103, राजरानी अपार्टमेन्ट
13, मिश्र नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-106)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती पूनम पटेल (Smt. Poonam Patel) पत्नी श्री नन्दराम पटेल, आयु-वयरक, निवासी ग्राम गेनवारकलां, पोस्ट गमझिरिया हाट, राहतगढ़, जिला सागर मध्यप्रदेश। मेरी पुत्री ममता पटेल के अभिभावक कल्याण दर्ज है, जो कि गलत है।

मेरी पुत्री का सही नाम ममता पटेल (Mamta Patel) पुत्री श्री नंदराम पटेल (Shri Nandram Patel) है, जो कि सही है। अतः इसी नाम से जाना-पहचाना व दर्ज किया जावे।

भवदीय,

(पूनम)

(G-107)

उपनाम परिवर्तन

सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि कार्मिक शाखा, प.म. रेल्वे, मण्डल, भोपाल मेल गार्ड के पद पर पदस्थ रमेश कुमार के नाम के साथ सरनेम पंथी जोड़कर आज से रमेश कुमार पंथी के नाम से जाना जाएगा।

पुराना नाम

(रमेश कुमार हॉसापुरिया)

नया नाम

(रमेश कुमार पंथी)

(G-108)

नाम परिवर्तन

सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि मुख्य कार्मिक नियंत्रक कार्यालय अधीक्षक (कार्मिक) भोपाल पश्चिम मध्य रेल के पद पर पदस्थ सुजान सिंह के नाम के साथ सरनेम निरंजन जोड़कर आज से सुजान सिंह निरंजन के नाम से जाना जाएगा।

पुराना नाम

(सुजान सिंह)

नया नाम

(सुजान सिंह निरंजन)

(G-109)

नाम परिवर्तन

मैं, ममता देवी (Mamta Devi) पत्नी श्री हरीश चन्द्र, निवासी म.नं. सी-121, सेमरां कलां, सुभाष कॉलोनी, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). सूचित करती हूँ कि मेरे सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम ममता देवी (Mamta Devi) एवं आधारकार्ड में मेरा नाम माया देवी (Maya Devi) त्रुटिवश अंकित हो गया है, उपरोक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के ही हैं. यह कि आज दिनांक से मुझे मेरे सभी दस्तावेजों में मेरे मूल नाम ममता देवी (Mamta Devi) के नाम से जाना-पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(माया देवी)
(MAYA DEVI)
(G-110)

नया नाम
(ममता देवी)
(MAMTA DEVI)
पति-श्री हरीश चन्द्र.

नाम परिवर्तन

मैं, भारत राजौरिया आ. श्री गुरुदयाल राजौरिया, निवासी कारीगरों का मोहल्ला आपागंज, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश. यह कि आधारकार्ड में मेरी बेटी का पूर्व में नाम क्रांति पुत्री श्री भारत राजौरिया दर्ज था. अब मेरी बेटी का संशोधित नाम हिमांशी राजौरिया दर्ज कराना चाहता हूँ. जो कि सत्य एवं सही है. अतः भविष्य में मेरी बेटी को हिमांशी राजौरिया के नाम से जाना व पहचाना दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(क्रांति)
(G-111)

नया नाम
(हिमांशी राजौरिया)
पुत्री-श्री भारत राजौरिया.

नाम परिवर्तन

यह कि मेरा नाम मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में रत्नेश कुमार चौधरी दर्ज है. जबकि मेरा वास्तविक नाम रत्नेश सिंह चौधरी पिता श्री लालमन चौधरी है. मैं अपना नाम अपने समस्त दस्तावेजों में पूर्व नाम रत्नेश कुमार चौधरी के स्थान पर रत्नेश सिंह चौधरी पिता श्री लालमन चौधरी करवाना चाहता हूँ.

पुराना नाम
(रत्नेश कुमार चौधरी)
(G-112)

नया नाम
(रत्नेश सिंह चौधरी)
583, राम हरक का बगीचा, पूर्वी घमापुर,
जी. आर. पी. कॉलोनी के पीछे, जबलपुर,
जिला जबलपुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, इशरत बी (Ishrat Bi) पत्नी मो युसुफ, निवासी-30, मोमिनपुरा छावनी, इतवारा, जिला भोपाल (म.प्र.) पूर्व में मेरे आधारकार्ड में मेरा नाम इशरत अंसारी अंकित था. जिसे मेरे द्वारा परिवर्तित कराकर शफीका बानो करा लिया गया था. यह उपरोक्त तीनों ही नाम मेरे हैं. एवं उक्त तीनों नामों से जानी व पहचानी जाती हूँ. जबकि मेरा वास्तविक नाम इशरत बी (Ishrat Bi) है. यह कि मेरे आधारकार्ड में मेरा नाम परिवर्तित कराकर इशरत बी (Ishrat Bi) अंकित कराना चाहती हूँ. जो कि मेरे मतदाता पहचान पत्र व मेरे बैंक की पासबुक में अंकित है. भविष्य में मुझे इशरत बी (Ishrat Bi) के नाम से जाना व पहचाना दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(शफीका बानो)
(Shafika Bano)
(G-113)

नया नाम
(इशरत बी)
(Ishrat Bi)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अमित नरवरे आत्मज ओमकार नरवरे, निवासी-म.नं. 11, कुंजन नगर, फेस-1, अहमदपुर, नर्मदापुरम रोड, भोपाल. मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम अमित लिखा है, जबकि मेरा पूरा नाम अमित नरवरे है, भविष्य में मुझे मेरे नए नाम अमित नरवरे से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(अमित व अमित के नरवरे)

नया नाम
(अमित नरवरे)

(G-114)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री के शैक्षणिक रिकार्ड में त्रुटिवश उसकी माँ का नाम बानो बी दर्ज हो गया है. मेरी पुत्री की माँ का सही नाम यास्मीन बानो है. जो कि मेरी पुत्री एवं उसकी माँ के अन्य दस्तावेजों में अंकित है. सूचना का प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री सायमा मंसूरी के शैक्षणिक रिकार्ड में उसकी माँ का सही नाम यास्मीन बानो लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे.

भवदीय
(अब्दुल नईम)

आ. अब्दुल सलाम,
निवासी-शास्त्री नगर, अर्जुन गली वार्ड नं. 02,
पुरानी इटारसी, तहसील इटारसी,
जिला नर्मदापुरम् (म.प्र.).

(G-115)

नाम परिवर्तन

मैं, लक्ष्मीरानी विश्वकर्मा पति नंदराम विश्वकर्मा सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे आधारकार्ड में त्रुटिवश पार्वती विश्वकर्मा के नाम से दर्ज हो गया है. जो कि गलत है. मेरे समस्त शासकीय/अर्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम लक्ष्मीरानी विश्वकर्मा है. इस विज्ञप्ति के उपरांत मुझे लक्ष्मीरानी विश्वकर्मा के नाम से ही जाना-पहचाना, लिखा पढ़ा एवं पुकारा जाये.

पुराना नाम
(पार्वती विश्वकर्मा)

नया नाम
(लक्ष्मीरानी विश्वकर्मा)
पता- 267/1, वार्ड नं. 5, नामदेव मोहल्ला,
फुटेरा कलां, दमोह (म.प्र.).

(G-116)

उपनाम परिवर्तन

मैं, हेमन्त कुमार खुटहनिया उर्फ हेमन्त कुमार सिंह पुत्र श्री सीताराम सिंह, निवासी-14/152, एस. बी. आई. जोनल आफिस के पास, अग्रसेन वार्ड, विजयनगर, जिला जबलपुर (म.प्र.) जिसे अब तक " हेमन्त कुमार खुटहनिया " उर्फ " हेमन्त कुमार सिंह " कहा जाता था. प्रकाशन उपरांत पूर्व नाम के साथ उपनाम/सरनेम यथा-"खुटहनिया" के स्थान पर " सिंह " जोड़कर परिवर्तित नाम " हेमन्त कुमार सिंह " का ही उपयोग करूंगा और इसी नाम के हस्ताक्षर करूंगा. अतः मुझे " हेमन्त कुमार सिंह " के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम
(हेमन्त कुमार खुटहनिया)

नया नाम
(हेमन्त कुमार सिंह)

(G-117)

उपनाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती विन्ध्या सिसौदिया पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह सिसौदिया, निवासी—मकान नं. 92, भवानी नगर, इन्द्रपुरी, बी. एच. ई. एल., हुजूर, जिला भोपाल मध्यप्रदेश. सूचित करती हूँ कि मेरे आधारकार्ड में मेरा नाम बिन्दु सिसौदिया पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह सिसौदिया अंकित है, जो गलत है एवं मेरी शैक्षणिक अंकसूची में मेरा नाम विन्ध्या ठाकुर दर्ज है, जो विवाह के पूर्व का नाम है, विवाह के बाद अब मुझे मेरे नये नाम इसके पश्चात् श्रीमती विन्ध्या सिसौदिया पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह सिसौदिया के नाम से पहचानी जाने लगी हूँ, जो दर्ज किया जायें.

पुराना नाम
(विन्ध्या ठाकुर)
(G-118)

नया नाम
(विन्ध्या सिसौदिया)
पत्नी—श्री राजेन्द्र सिंह सिसौदिया.

नाम परिवर्तन

मैं, मनोज कठाने आत्मज स्व. नामदेव कठाने, निवासी—मकान नं. 344, राहुल नगर, भोपाल मध्यप्रदेश. मेरी पुत्री (Kritika Kathane) के जन्म प्रमाण—पत्र में उसका नाम कृतिका कठाने (Kritika Kathane) अंकित है. मेरी पुत्री के आधारकार्ड में उसका नाम बेबी कठाने (Baby Kathane) त्रुटिवश अंकित हो गया है. जो कि मेरी पुत्री का घर का बोलचाल की भाषा का नाम है. मेरी पुत्री को सही नाम कृतिका कठाने (Kritika Kathane) के नाम से जाना—पहचाना, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(बेबी कठाने)
(Baby Kathane)
(G-119)

नया नाम
(कृतिका कठाने)
(Kritika Kathane)

नाम परिवर्तन

मैं, मनीष मालवीय पिता महेश मालवीय, आयु वयस्क, निवासी क्वार्टर नम्बर 1/2, एम. वी. एम. कॉलेज परिसर, भोपाल मध्यप्रदेश. यह कि मेरे पुत्र का नाम मोरल मालवीय चौथी कक्षा में अध्ययनरत है. मेरे पुत्र का नाम स्कूल में मोरल मालवीय अंकित है. जबकि अब मैं, अपने पुत्र का नाम मितांश मालवीय दर्ज करवाना चाहता हूँ तथा भविष्य में मितांश मालवीय के नाम से ही जाना व पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(मनीष मालवीय)
पिता—महेश मालवीय.
(G-120)

नाम परिवर्तन

मैं, सुभद्रा देवी पत्नी राजधर निवासी—राजीव गाँधी वार्ड ऑफिस के पास बीना, जिला सागर मध्यप्रदेश. मेरे शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम सुभद्रा देवी (SUBHADRA DEVI) है. व अन्य शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सुभद्रा देवी (SUBHADHRA DEVI) है. सुभद्रा देवी (SUBHADRA DEVI) से अग्रेंजी में स्पेलिंग सही कर भविष्य में मेरा नाम सुभद्रा देवी (SUBHADHRA DEVI) के नाम से जानी—पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम
(सुभद्रा देवी)
(SUBHADRA DEVI)
(G-121)

नया नाम
(सुभद्रा देवी)
(SUBHADHRA DEVI)
पता—राजीव गाँधी वार्ड ऑफिस के पास,
बीना जिला सागर.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रितुल सिंघई पिता राजेश कुमार जैन माता संगीता जैन के कुछ अभिलेखों में राजेश सिंघई/राजेश जैन सिंघई एवं माता का नाम संगीता लिख गया है. जो कि गलत है. आज से समस्त अभिलेखों में उनका सही नाम रितुल सिंघई एवं उनके पिता का नाम राजेश कुमार जैन तथा माता का नाम संगीता जैन के नाम से जाना जाये तथा सभी अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

(G-122)

(रितुल सिंघई)

बहोरीबंद, जिला कटनी (म.प्र.).

आम सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 72 के तहत)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अमृत इन्फ्राक्चर, पता-15/2, ओल्ड पलासिया, इन्दौर (म.प्र.) भागीदारी फर्म में श्री ऋषित जैन पिता स्व. श्री आशीष जैन दिनांक 15-09-2023 को नये साझेदार के रूप में सम्मिलित हुए हैं एवं श्री संदीप सेठी पिता स्व. श्री प्रेमप्रकाश सेठी एवं सुनीता बाहेती पति श्री मनोज बाहेती दिनांक 15-09-2023 को फर्म से निवृत्ति प्राप्त कर ली है.

मेसर्स अमृत इन्फ्राक्चर,

(SHARAD DOSHI)

पार्टनर.

(G-123)

आम सूचना

फर्म मेसर्स केशव फिलिंग स्टेशन, वार्ड नं. 01, तहसील बिजावर, जिला छतरपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 06/12/06/00170/12 सन् 2011-12, दिनांक 27 मार्च, 2012 है. उक्त फर्म के भागीदार शशि भूषण अवस्थी तनय श्री हर नारायण अवस्थी, पता-वार्ड नं. 14, घंटाई मंदिर के पास, खुजराहो, जिला छतरपुर एवं पवन कुमार सर्राफ तनय श्री जगदीश प्रसाद सर्राफ वार्ड नं. 09 गल्लामंडी, छतरपुर के अलग होने से एवम आपसी सहमति पर उक्त फर्म का विघटन 22 नवंबर 2023 को विघटन (भंग) कर दिया गया है एवं उक्त फर्म के संबंध में यह सूचना सर्वसाधारण एवं फर्म के भागीदार एवं फर्म से जुड़े व्यक्तियों को सूचनार्थ प्रकाशित है.

मेसर्स केशव फिलिंग स्टेशन,

(पवन कुमार सर्राफ)

भागीदार

पता-09, गल्लामंडी, छतरपुर (म.प्र.).

(G-124)

नाम परिवर्तन

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम RUP CHAND SHAMDASANI (रूप चन्द शामदासानी) था. जो कि मेरे आधारकार्ड व समग्र आईडी आदि दस्तावेजों में दर्ज है. जबकि मेरे पेनकार्ड आदि में मेरा सही नाम ROOP SHAMDASANI दर्ज है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम ROOP SHAMDASANI S/o ATMA RAM SHAMDASANI (रूप शामदासानी पुत्र आत्मा राम शामदासानी) के नाम से ही जाना-पहचाना, पढ़ा, लिखा जावे व समस्त दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(RUP CHAND SHAMDASANI)

नया नाम

(ROOP SHAMDASANI)

S/o ATMA RAM SHAMDASANI

पता-HIG-23, सिंधिया इन्कलेव, थाटीपुर,

ग्वालियर (म.प्र.).

(G-125)

CHANGE OF NAME

I, Khairkar Mahadeo Vyankatrao S/o Shri Vyankatrao Khairkar, Resident quarter No. 479, T Group Center Campus CRPF Bangrasiya, Bhopal in my 10th Marksheet & PANcard my name is recorded as KHAIRKAR MAHADEO VYANKATRAO which is correct, My name is registere in my Aadhar Card as KHAIRKER MAHADEO VYANKATRAO which is wrong. I want to get my name KHAIRKAR MAHADEO VYANKATRAO registered in my Aadhar Card.

Old Name :

New Name :

(KHAIRKER MAHADEO VYANKATRAO)**(KHAIRKAR MAHADEO VYANKATRAO)**

(G-126)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रार्थी अमित कुमार वर्मा आत्मज कर्नल डी सी वर्मा (सेवानिवृत्त), निवासी-बी-195, रक्षा विहार, मुबारकपुर गांव के पास, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र पर उसका नाम अंशु वर्मा दर्ज है. मेरे पुत्र का अब परिवर्तित सम्पूर्ण नाम अंशुमान वर्मा (ANSHUMAN VERMA) हो गया है तथा अब मेरा पुत्र इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है. भविष्य में मेरे पुत्र को पूर्व नाम अंशु वर्मा के स्थान पर अब परिवर्तित नया सम्पूर्ण नाम अंशुमान वर्मा (ANSHUMAN VERMA) दर्ज किया जाए/पढ़ा जाए/समझा जाएं.

प्रार्थी

(G-127)

पिता-(अमित कुमार वर्मा)

आम सूचना

मैं, संचित डेवेलपर, 69, शीतलपुरी उखरि रोड, जबलपुर मध्यप्रदेश 482002 (पंजीकृत फर्म संख्या 04/14/01/0305/18) वर्ष 2017-18 के पार्टनर होने की हैसियत से निम्न सूचना जाहिर करता हूँ कि फर्म के पुराने पार्टनर श्री संतोष राय पिता सीता चरण राय एवं श्री पवन कुमार जैन पिता श्री प्रकाश चंद जैन फर्म से 01-02-2022 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए हैं और नए पार्टनर श्री सतीश कुमार जैन पिता सनत कुमार जैन भी इसी तारीख 01-02-2022 से फर्म के नए पार्टनर के रूप में शामिल हुए हैं. इसलिए समस्त सहकारी और असहकारी संस्थानों में हमारी फर्म के बदलाव को इस सूचना के माध्यम से दर्ज किया जाये.

SANCHIT DEVELOPERS,

(सन्देश कुमार जैन)

पार्टनर.

(G-128)

नाम परिवर्तन

मैं, आरिफ हसीब (Arif Hasib) सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का बोलता नाम अनीस अहमद पुत्र सैयद अब्दुल हसीब था. जबकि वर्तमान में मुझे आरिफ हसीब (Arif Hasib) पुत्र सैयद अब्दुल हसीब के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता है. जो मेरे आधारकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में अंकित है. किंतु कुछ दस्तावेजों में आरिफ हसीब कुछ में आरिफ हसीब उर्फ अनीस अहमद लिखा गया है. आरिफ हसीब (Arif Hasib) और अनीस अहमद दोनो एक ही व्यक्ति के नाम हैं याने की मेरे ही नाम हैं. अतः भविष्य में मुझे सभी शासकीय/ अर्धशासकीय दस्तावेजों में आरिफ हसीब (Arif Hasib) के नाम से जाना-पहचाना लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(अनीस अहमद)

(आरिफ हसीब)

(ANEES AHMAD)

(ARIF HASIB)

पुत्र-सैयद अब्दुल हसीब

05, ब्राइट कॉलोनी, नियर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल

(G-129)

ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद अंसारी (Mohammed Ansari) पुत्र श्री शेख मुन्ना (Shekh Munna) आयु वयस्क, निवासी-वार्ड नं. 01, शिव मंदिर के सामने, पोस्ट न्यूटन नं. 11, न्यूटन चीखली, पागरा, छिन्दवाड़ा (म.प्र.). मेरी एल.आई.सी. की पॉलिसी में मेरा नाम शेख मोहम्मद (Shekh Mohamad) अंकित है एवं वोटर कार्ड में मेरा नाम शे. मोहम्मदअंसारी (She. Mohammadaansari) अंकित है. मेरे अन्य सभी दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम मोहम्मद अंसारी (Mohammed Ansari) पुत्र शेख मुन्ना (Shekh Munna) हैं. मैं, इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ. मेरा यही नाम प्रचलन में है. इस विज्ञप्ति उपरांत भविष्य में मुझे अपने सही नाम मोहम्मद अंसारी (Mohammed Ansari) पुत्र शेख मुन्ना (Shekh Munna) के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम
(शेख मोहम्मद)
(Shekh Mohamad)

नया नाम
(मोहम्मद अंसारी)
(Mohammed Ansari)
पुत्र-शेख मुन्ना
(Shekh Munna).

(G-130)

नाम परिवर्तन

मैं, SRASHHTI PALI पिता O P PALI माता GEETA PALI निवासी-क्वार्टर नंबर 51, लाईन नं. 14, बिरला नगर गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.). मेरे कागजों एवं मार्कशीट में मेरे पिता के नाम के पहले DR. O P PALI लिखा हुआ है. एवं माता के नाम के पहले MRS GEETA PALI लिखा हुआ है. जो गलत है. अतः मैं, अपने पिता का नाम (O P PALI) ओ पी पाली और माता का नाम (GEETA PALI) गीता पाली दर्ज करवा रही हूँ. अतः मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(SRASHHTI PALI)
पिता-DR O. P. PALI
माता-MRS GEETA PALI

नया नाम
(SRASHHTI PALI)
पिता-O P PALI
माता-GEETA PALI

(G-131)

नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, राजाराम (RAJARAM) पिता स्व. खन्देलाल कटारिया, निवासी-क्वार्टर नं. 31/226, एस. ए. एफ. 6वीं बटालियन, रांझी, थाना रांझी, तहसील रांझी, जिला जबलपुर (म.प्र.). मैं, 6वीं बटालियन एस.ए.एफ. रांझी, जबलपुर मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम राजाराम (RAJARAM) दर्ज है तथा मेरे अन्य दस्तावेज में मेरा नाम राजाराम कटारिया (RAJARAM KATARIYA) दर्ज है. मैं, अपना सरनेम दस्तावेजों के अनुसार अपने सर्विस रिकार्ड में राजाराम (RAJARAM) के स्थान पर राजाराम कटारिया (RAJARAM KATARIYA) परिवर्तित कराना चाहता हूँ. अतः मुझे नये नाम राजाराम कटारिया (RAJARAM KATARIYA) से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम
(राजाराम)
(RAJARAM)

नया नाम
(राजाराम कटारिया)
(RAJARAM KATARIYA)

(G-132)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अश्विनी सुळे पिता अनिल करंदीकर पूर्व में अपना कुलनाम "करंदीकर" उपयोग करती थी. इस कारण से अश्विनी करंदीकर के नाम से जानी व पहचानी जाती थी तथा मेरे विवाह पूर्व दस्तावेज

व मार्कशीट में मेरा नाम अश्विनी करंदीकर ही दर्ज है. किन्तु विवाह पश्चात् अब मैं अपना (कुलनाम) उपनाम सुळे का उपयोग करती हूँ. इस कारण अश्विनी सुळे पिता अनिल करंदीकर के नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ तथा भविष्य में भी इसी नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी तथा इसी नाम से हस्ताक्षर करूंगी.

पुराना नाम
(अश्विनी करंदीकर)
(G-133)

नया नाम
(अश्विनी सुळे)
पिता—अनिल करंदीकर.

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम ऐश्वर्या जाधव (AISHWARYA JADHAV) पिता श्री रवि कुमार जाधव है, जो कि मेरे वोटर कार्ड, जन्म प्रमाण—पत्र एवं ड्रायविंग लाईसेन्स पर दर्ज है, किन्तु मेरी अंकसूची पत्र त्रुटिवश मेरा नाम ऐश्वर्या सोनी (AISHWARYA SONI) पिता श्री रवि सोनी दर्ज हो गया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम ऐश्वर्या जाधव (AISHWARYA JADHAV) पिता श्री रवि कुमार जाधव के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(ऐश्वर्या सोनी)
(AISHWARYA SONI)

नया नाम
(ऐश्वर्या जाधव)
(AISHWARYA JADHAV)
पिता—श्री रवि कुमार जाधव,
पता— 60, खातीवाला टैंक,
इंदौर (म.प्र.).

(G-134)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लक्ष्मी नारायण परमार आत्मज स्व. श्री राम नारायण परमार, निवासी ग्राम किलेरामा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर मध्यप्रदेश. मेरे पुत्र/पुत्रियों के स्कूली दस्तावेजों में मेरा नाम बन्शी लाल परमार अंकित है. अतः मैं अपने समस्त शासकीय दस्तावेजों आदि में अपना नाम बन्शी लाल परमार परिवर्तित करा रहा हूँ. अतः आगे मुझे बन्शी लाल परमार के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(लक्ष्मी नारायण परमार)
(G-135)

नया नाम
(बन्शी लाल परमार)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नैनसी (NAINCY) पुत्री श्री रामसुंदर कुशवाहा (RAM SUNDAR KUSHWAHA), पता—40, थाना ताला, अमरपाटन, भड़री, रामगढ़, सतना मध्यप्रदेश. मेरे कुछ शैक्षणिक संस्थानों के कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम नैनसी कुशवाहा (NAINCY KUSHWAHA) अंकित है एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम नैनसी (NAINCY) अंकित है. उपरोक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के अर्थात् एक ही व्यक्ति के नाम हैं. जो मैं स्वयं हूँ. इस विज्ञापित उपरांत मुझे अपने संशोधित नाम नैनसी (NAINCY) पुत्री श्री रामसुंदर कुशवाहा (RAM SUNDAR KUSHWAHA) के नाम से ही जाना—पहचाना एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम
(नैनसी कुशवाहा)
(NAINCY KUSHWAHA)

नया नाम
(नैनसी)
(NAINCY)
पुत्री—रामसुंदर कुशवाहा
(RAM SUNDAR KUSHWAHA)

(G-136)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शमीम उद्दीन (SHAMEEM UDDIN S/O HASIN UDDIN) निवारी-काजीपुरा, वार्ड नं. 10, मुंगावली, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश. मेरे आधारकार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम समीम उद्दीन कुरेशी अंकित हो गया था, जबकि मेरा वास्तविक नाम शमीम उद्दीन है, जो कि मैं, अब भविष्य में अपने वास्तविक नाम शमीम उद्दीन (SHAMEEM UDDIN S/O HASIN UDDIN) के नाम से जाना जाऊंगा. अब मेरा नाम भविष्य में सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में शमीम उद्दीन (SHAMEEM UDDIN S/O HASIN UDDIN) लिखा एवं सम्बोधित किया जावेगा.

पुराना नाम
(समीम उद्दीन कुरेशी)
(SAMEEM UDDIN QURESHI)

नया नाम
(शमीम उद्दीन)
(SHAMEEM UDDIN)
पुत्र-हसीम उद्दीन,
S/o HASIN UDDIN.

(G-137)

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firms "Shri Sathya Sai Steels" of Bhopal vide Reg. No. 01/01/01/00492/12, Year 2011-2012 Bhopal, Dated of Registration 01-03-2012 undergone the following changes:-

That the Corporate office Adders of the firm is shifted of Plot No. 12, 13 & 14 Sector-H, Industrial Area, Govindpura, Bhopal w.e.f. 19-12-2023.

Shri Sathya Sai Steels ,
(MUKESH MALIK)
(Partner).

(G-138)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम परिवर्तन कर बाबूलाल पिता नानूराम शाक्य के स्थान पर बालकिशन शाक्य (Balkishan Shakya) कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम बालकिशन शाक्य (Balkishan Shakya) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा.

पुराना नाम
(बाबूलाल शाक्य)

नया नाम
(बालकिशन शाक्य)
आय-24, पी. डब्ल्यू. डी. कॉलोनी,
ओल्ड पलासिया, इन्दौर (म.प्र.).

(G-139)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संजीव कुमार त्रिपाठी (SANJEEV KUMAR TRIPATHI) मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम संजीव कुमार त्रिपाठी (SANJEEV KUMAR TRIPATHI) व संजीव त्रिपाठी (SANJEEV TRIPATHI) उल्लेखित है, जो कि दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं, भविष्य में मुझे संजीव कुमार त्रिपाठी (SANJEEV KUMAR TRIPATHI) नाम से जाना-पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(संजीव त्रिपाठी)
(SANJEEV TRIPATHI)

नया नाम
(संजीव कुमार त्रिपाठी)
(SANJEEV KUMAR TRIPATHI)

(G-140)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रद्धा सिंह पत्नि रविन्द्र सिंह सेंगर अपने अवयस्क पुत्र का नाम जन्म प्रमाण-पत्र में आदित्य रघुवंशी तथा आधारकार्ड में आदित्य सिंह आ. स्व. देवेन्द्र सिंह लिखा गया है. जिसे परिवर्तित कर अक्ष सिंह सेंगर आ. स्व. देवेन्द्र सिंह संरक्षक रविन्द्र सिंह सेंगर नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(आदित्य रघुवंशी)
आ. स्व. देवेन्द्र सिंह
(G-141)

नया नाम
(अक्ष सिंह सेंगर)
संरक्षक श्रद्धा सिंह,
पत्नि-रविन्द्र सिंह सेंगर.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम रजिया बानो (RAZIA BANO) पुत्री मुनब्बर हुसैन का शासकीय/अर्धशासकीय/निजी दस्तावेजों में चल रहा है, जो कि विवाह उपरांत रजिया हुसैन (RAZIA HUSSAIN) पत्नि मुर्तजा हुसैन हो गया है. इसलिए रजिया हुसैन पत्नि मुर्तजा हुसैन के समस्त दस्तावेज (शासकीय/अर्धशासकीय/निजी) में अब से रजिया हुसैन पत्नि मुर्तजा हुसैन के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(रजिया बानो)
(RAZIA BANO)
(G-142)

नया नाम
(रजिया हुसैन)
(RAZIA HUSSAIN)

NOTICE**U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given that the firms "M/s SANCHI FUELS" of Bhopal vide Reg. No. 01/03/02/00546/13 Year 2012-2013 Bhopal dated of Registration 19-03-2013 undergone the following changes. That Smt. Bhavika Lalwani W/o Manish Kumar Lalwani has desire to retire from the partnership firm and Smt. Lavisha Lakhani W/o Shri Shankar Lakhani has expressed his desire to join the partnership firm and work together as partner and remaining partners are agreed with them w.e.f. 20-12-2023.

M/s SANCHI FUELS,
(SHANKAR LAKHANI)
(Partner).

(G-143)

जाहिर सूचना**(भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 72 के अधीन सूचना पत्र)**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स पी. आर. एस बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स, फर्म पंजीयन क्रमांक- 01/01/01/00432/14, कार्यालय का पता- 619, बंसल वन, रानी कमला पति स्टेशन, भोपाल (म.प्र.) है, जिसमें फर्म के 4 भागीदार दिनांक 16-10-2023 को फर्म से निवृत्त हो गए हैं. निवृत्त 4 भागीदारों का विवरण निम्नानुसार है-

- (1) श्रीमती रीना विश्वकर्मा पत्नी श्री विष्णु विश्वकर्मा, निवासी- एच. आई. जी.-70, शंकराचार्य नगर, बागसेवनिया, भोपाल (म.प्र.),
- (2) श्रीमती पुष्पा मालवीय पत्नी श्री महेश मालवीय, निवासी- ए-6, निर्मल नगर, खजुरी कलां रोड, भोपाल (म.प्र.),
- (3) श्री प्रेमचंद्र कबीर पंथी पुत्र श्री बिंद्रावन कबीर पंथी, निवासी- 32-डी, सर्वधर्म, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.),
- (4) श्री निधि श्रीवास्तव पत्नी श्री अजय श्रीवास्तव, निवासी- एम. आई. जी. डीएक्स-बी-197, अमरावती साउथ, बागसेवनिया, एमरल्ड पार्क सिटी, भोपाल (म.प्र.) तथा श्री प्रवीण सिरसत पुत्र श्री बाला साहेब सिरसत, निवासी-सी-130, सेक्टर-सी, नेहरू नगर, भोपाल (म.प्र.) को फर्म में दिनांक 16-10-2023 को सम्मिलित किया गया है.

मेसर्स पी. आर. एस बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स,,
(सौरभ कुमार जैन)
पुत्र-श्री वीरेंद्र कुमार जैन,
द्वारा-भागीदार.

(G-144)

नाम परिवर्तन

मैं, पुष्पा चौरे पत्नी श्री बसंत चौरे, आयु-42, निवासी-म. नं. 23, काजली, ग्राम-काजली, सहनगांव शाखा डाकघर, प्रभात पट्टन, बैतूल, वर्तमान पता-न्यू शान्ति नगर, मित्तल कॉलेज, करोंद, भोपाल. मेरा सही व पूरा नाम पुष्पा चौरे है, पुष्पा चौरे एवं गीताबाई चौरे दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं. भविष्य में मझे पुष्पा चौरे नाम से ही जानी-पहचानी जाये.

पुराना नाम
(गीताबाई चौरे)

नया नाम
(पुष्पा चौरे)

(G-145)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह श्री अरूण कुमार वामन आ. श्री शंकर लाल वामन के साथ संपन्न हो गया है, विवाह के पश्चात् मेरा नाम श्रीमती माधुरी वामन पत्नी श्री अरूण कुमार वामन था तथा मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा पूर्व का नाम माधुरी राठौर अंकित है तथा अब मेरा यही नाम लिखा है एवं पढ़ा जावे, तदानुसार सूचित हो.

पुराना नाम
(माधुरी वामन)

नया नाम
(माधुरी राठौर)

पता-145, ओल्ड अशोका गार्डन,
भोपाल (म.प्र.).

(G-146)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्री भरत कुमार सोनी आत्मज श्री प्रहलाद कुमार सोनी, निवासी-ई/8-29, त्रिलंगा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरा घर का नाम भरत सोनी था, परन्तु मेरे सभी अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम श्री भरत कुमार सोनी अंकित है. प्रकाशन उपरांत मेरा नाम श्री भरत सोनी लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(भरत कुमार सोनी)

नया नाम
(भरत सोनी)

(G-147)

CHANGE OF NAME

I, Charulata Mahajan D/o Late Shri Ramji Mahajan, R/o-MIG-10, Old MLA Quarters, Jawahar Chowk, Bhopal-462003 (M.P.) India, I was married to Shri Mayank Tripathi. Before marriage, I was known as Charulata Mahajan D/o Late Shri Ramji Mahajan. After my marriage, I was known as Smt. Charulata Tripathi W/o Shri Mayank Tripathi. We the husband and the wife, have mutually dissolved our marriage (divorce). And after my divorce, I known and recognized by my maternal name i.e. Charulata Mahajan D/o Late Shri Ramji Mahajan.

Old Name
(CHARULATA TRIPATHI)
W/o Shri Mayank Tripathi

New Name
(CHARULATA MAHAJAN)
D/o Late Shri Ramji Mahajan.

(G-148)

CHANGE OF NAME

My old name was Ranee I, Have Changed my name my new name is Rupa Gupta W/o Neeraj Gupta.
I Will be known by my new name Rupa Gupta.

Old Name

(RANEE)

New Name

(RUPA GUPTA)

Address-MIG 5/6, Airport Road,
Munshi Prem Chand Parisar, BDA Colony,
Lalghati, Huzur, Bhopal (M.P.).

(G-149)

नाम परिवर्तन

यह कि मेरा नाम मुंशी पटेल पिता अजमेरी पटेल है. किन्तु भुलवश मेरे कुछ दस्तावेजों में मुंशी खान पिता अजमेरी लिखा गया है. जो कि गलत है. जबकि मेरा सही नाम मुंशी पटेल पिता अजमेरी पटेल MUNSHI PATEL S/o AJMERI PATEL है. मेरे समस्त दस्तावेज इसी नाम से है तथा मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाता है.

पुराना नाम

(मुंशी खान)

पिता-अजमेरी खान

नया नाम

(मुंशी पटेल)

पिता-अजमेरी पटेल,
पता-285, घाटा बिल्लोद,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-150)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम कमलेश भील पिता श्री दिलीप भील Kamlesh Bhil S/o Dilip Bhil, निवासी-ढाबलामाता, तहसील इछावर, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे समस्त दस्तावेजों में उपरोक्त नाम यानि कमलेश भील ही अंकित है. जो सही है. किन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश सिंगाड़ दिलीपसिंह रामसिंह Singad Ramsingh Dilip Singh अंकित हो गया है. मेरा सही नाम कमलेश भील पिता श्री दिलीप भील है के नाम से लिखा, पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सिंगाड़ रामसिंह दिलीपसिंह)

पिता-सिंगाड़ दिलीपभाई.

नया नाम

(कमलेश भील)

पिता-श्री दिलीप भील.

(G-151)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सुभाषनी पुत्री स्व. श्री सुगमचंद जैन पत्नी श्री रविन्द्र जैन, निवासी-एक्स/21, सर्वे ऑफ इंडिया के पास, विजय नगर, जबलपुर (म.प्र.). मेरा पूर्व का नाम मुनमुन था एवं बड़े होने पर मेरा नाम सुभाषनी रखा गया, परन्तु मेरा राजस्व अभिलेखों में मेरा पूर्व का नाम मुनमुन पुत्री स्व. श्री सुगम चंद जैन अंकित हो गया है एवं मेरे सभी अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सुभाषनी जैन अंकित है, प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम श्रीमती मुनमुन सुभाषनी जैन लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सुभाषनी जैन)

नया नाम

(मुनमुन सुभाषनी जैन)

(G-152)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पूजा यादव पत्नी विनोद यादव (POOJA YADAV W/o VINOD YADAV), निवासी-228, सरस्वती नगर, हुजूर, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम पूजा रोशिया अंकित हो गया था, जबकि मेरा वास्तविक नाम पूजा यादव पत्नी विनोद यादव (POOJA YADAV W/o VINOD YADAV) है। अब मेरा नाम भविष्य में सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में पूजा यादव पत्नी विनोद यादव (POOJA YADAV W/o VINOD YADAV) लिखा एवं सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम
(पूजा रोशिया)
पत्नी-विनोद यादव.
(POOJA ROSHIYA
W/o VINOD YADAV)

नया नाम
(पूजा यादव)
पत्नी-विनोद यादव,
(POOJA YADAV
W/o VINOD YADAV)

(G-153)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हरेन्द्र ठाकुर एवं आत्मज श्री परशुराम जो कि मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज है। मुझे हरेन्द्र ठाकुर एवं आत्मज श्री परशुराम के नाम से जाना-पहचाना जाता है। मैं अपना एवं आत्मज का नाम परिवर्तन कर हरेन्द्र कुमार ठाकुर आत्मज स्वर्गीय श्री परशुराम ठाकुर कर रहा हूँ। मुझे भविष्य में हरेन्द्र कुमार ठाकुर आत्मज स्वर्गीय श्री परशुराम ठाकुर के नाम से जाना-पहचाना जावे एवं शासकीय व अर्द्धशासकीय एवं समस्त दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा व मान्य किया जावे।

पुराना नाम
(हरेन्द्र ठाकुर)
एवं आत्मज श्री परशुराम

नया नाम
(हरेन्द्र कुमार ठाकुर)
आत्मज स्वर्गीय श्री परशुराम ठाकुर,
पता-6वीं वाहिनी, एस. ए. एफ. जी कंपनी, रांझी,
जबलपुर (म.प्र.).

(G-154)

नाम परिवर्तन

मैं, आनंद सिंह ठाकुर पिता अमरसिंह ठाकुर, निवासी-ग्राम रामाधामा (नयापुरा), काली बावडी, तहसील मनावर, जिला धार (म.प्र.). वर्तमान में मेरी पुत्री का नाम उसके जन्म प्रमाण-पत्र में त्रुटिवश "प्राधिका ठाकुर" अंकित हो गया है, जबकि उसका सही, वास्तविक एवं प्रचलित नाम "अभित्री ठाकुर" है।

अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के पूर्व नाम "प्राधिका ठाकुर" के स्थान पर प्रचलित नाम "अभित्री ठाकुर" अंकित कर उक्त नाम से ही जानी एवं पहचानी जाए।

पुराना नाम
(प्राधिका ठाकुर)
Pradhika Thakur

नया नाम
(अभित्री ठाकुर)
Abhishri Thakur

(G-155)

न्यायालय की सूचनाएं

कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पंजीयक पब्लिक ट्रस्ट अनुविभाग गोपद बनास, जिला सीधी, मध्यप्रदेश
क्र.398/एस.डी.ओ./2023-24.

सीधी, दिनांक 20 दिसम्बर 2023

प्रारूप क्र. 4

[देखे नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962, के नियम 5 (1) के द्वारा]
लोक न्यासों के पंजीयक सीधी जिला सीधी के समक्ष.

अतः कि बढौरा शिवालय चैरिटेवल ट्रस्ट (न्याय) सीधी, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951, (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 22 जनवरी, 2024 के 10.30 बजे कार्यालय दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा:-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का पूरा नाम पता : बढौरा शिवालय चैरिटेवल ट्रस्ट संरक्षण संस्थान (न्याय) सीधी,
थाना कोतवाली सीधी, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी (म.प्र.).

सम्पत्ति का विवरण : 10,00,000 (दस लाख रुपये) सूची संलग्न है.

(G-156)

नीलेश कुमार शर्मा, उपखण्ड अधिकारी एवं पंजीयन.

न्यायालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट पाटन, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 03/बी-113/2023-24.

जबलपुर, दिनांक 1 सितम्बर, 2023

चूंकि आवेदक चंद्रिका प्रसाद पटैल (कुर्मी) पिता स्व. सोनी लाल, निवासी ग्राम गंजखमहरिया, तहसील पाटन, जिला जबलपुर की ओर से श्री आर. पी. खमहरिया, अधिवक्ता द्वारा मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा-4 के तहत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि ग्राम गंजखमहरिया रा.नि.मं. कटंगी, प.ह.नं. 30 स्थित भूमि खसरा नंबर 73 रकवा 7.33 हे. भूमि श्री शंकर जी महाराज विराजमान मंदिर, ग्राम गंजखमहरिया सर्वराहकार चन्द्रिका प्रसाद के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर आवेदक ने श्री शंकर जी महाराज विराजमान मंदिर का निर्माण कराया है. जिसमें शिव दरबार की प्रतिमायें स्थापित है. उक्त लोक न्यास का पंजीयन कराये जाने का अनुरोध चाहा गया है. मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में 27 दिसम्बर, 2023 को विचार के लिये लिया जावेगा. यदि कोई व्यक्ति उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां सुझाव देने का विचार रखता हो तो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करता है.

अतः मैं, मानवेन्द्र सिंह राजपूत, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट पाटन, तहसील पाटन, जिला जबलपुर अपने न्यायालय में दिनांक 01 सितम्बर, 2023 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा 3 के द्वारा यथा जांच करना प्रस्तावित करता हूँ

अतः एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना होगा और न्यायालय में मेरे समक्ष उपस्थित होना चाहिये उपरोक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों या सुझाव को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा:-

अनुसूची

लोक न्यास का नाम	-	श्री शंकर जी महाराज विराजमान मंदिर, ग्राम गंजखमहरिया, तहसील पाटन, जिला जबलपुर (म.प्र.).
(अ) चल संपत्ति	-	निरंक
(ब) अचल संपत्ति	-	ग्राम-गंजखमरिया रा.नि.मं. कटंगी, प.ह.नं. 30 स्थित भूमि खसरा नंबर 73 रकवा 7.33 हे. भूमि

(G-157)

प्र.क्र. 04/बी-113/2023-24.

चूंकि आवेदक चंद्रिका प्रसाद पटैल (कुर्मी) पिता स्व. सोने लाल, निवासी ग्राम गंजखमहरिया, तहसील पाटन, जिला जबलपुर की ओर से श्री आर. पी. खंपरिया, अधिवक्ता द्वारा इस आशय का आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम गंजखमरिया, प.ह.नं. 30 राजस्व निरीक्षक मण्डल कटंगी-1, तहसील पाटन, जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 29/1, 76 297/73 रकवा क्रमशः 0.85, 0.40, 1.55 हे. कुल रकवा 2.80 हे. स्थित भूमि श्री हनुमान जी महाराज विराजमान मंदिर ग्राम गंजखमरिया, सर्वराहकार सोने लाल के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में लेख किया गया कि सरवराहकार सोने लाल की मृत्यु दिनांक 11-10-1998 के बाद स्व. सोने लाल का पुत्र आवेदक विगत 25 वर्षों से उक्त न्यास का संचालन लोक न्यास के रूप में करता चला आ रहा है. आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 के अन्तर्गत श्री हनुमान जी महाराज विराजमान मंदिर ग्राम गंजखमरिया, तहसील पाटन, जिला जबलपुर को लोक न्यास का पंजीयन कराये जाने एवं मृत खातेदार स्व. सोने लाल का नाम पृथक कर आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने के संबंध में मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में 27 दिसम्बर, 2023 को विचार के लिये लिया जावेगा. यदि कोई व्यक्ति उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां या सुझाव देने का विचार रखता हो तो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करता है.

अतः मैं, मानवेन्द्र सिंह राजपूत, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट पाटन, तहसील पाटन, जिला जबलपुर अपने न्यायालय में दिनांक 01 सितम्बर, 2023 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा 3 के द्वारा यथा जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना होगा और न्यायालय में मेरे समक्ष उपस्थित होना चाहिये उपरोक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों या सुझाव को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम	—	श्री हनुमान जी महाराज विराजमान मंदिर ग्राम गंजखमरिया, तहसील पाटन, जिला जबलपुर (म.प्र.).
(अ) चल संपत्ति	—	निरंक
(ब) अचल संपत्ति	—	ग्राम गंजखमरिया, प.ह.नं. 30 राजस्व निरीक्षक मण्डल कटंगी-1, तहसील पाटन, जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 29/1, 76 297/73 रकवा क्रमशः 0.85, 0.40, 1.55 हे. कुल रकवा 2.80 हे.

(G-158)

मानवेन्द्र सिंह राजपूत, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश
प्र.क्र...../बी-113/2023-24.

शाजापुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2023

प्रारूप-पांच

[देखे नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1982 की धारा 5 (1) व 5 (2) के अन्तर्गत]

अध्यक्ष आवेदक गोपाल मेवाडा पिता स्व. रामचरण मेवाडा, निवासी भैसाया नागिन, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर के द्वारा एक आवेदन पत्र विकास परमार्थिक चेरिटेबल ट्रस्ट ग्राम भैसाया नागिन के ट्रस्ट हेतु धारा 4 (म.प्र.) पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1982 के तहत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की उक्त ट्रस्ट का पंजीयन किया जाए. उक्त ट्रस्ट की चल-अचल संपत्ति पंजीयन हेतु मेरे न्यायालय में प्रकरण चल रहा है. जिस पर दिनांक 29 जनवरी, 2024 को मेरे द्वारा विचार किया जाएगा.

उक्त लोक न्यास एवं चल-अचल सम्पत्ति के पंजीयन किए जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो दो प्रतियों में इस विज्ञापित के प्रकाशन होने के एक माह के अंदर स्वयं अथवा किसी वैध प्रतिनिधि अभिभाषक के मध्य से कर सकता है. अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जाएगा:-

1. न्यास का मुख्यालय — अध्यक्ष, आवेदक गोपाल मेवाडा पिता स्व० रामचरण मेवाडा, निवासी भैसाया नागिन, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर-विकास परमार्थिक चेरिटेबल ट्रस्ट ग्राम भैसाया नागिन.
2. न्यास का कार्य क्षेत्र — सम्पूर्ण भारत
3. न्यास का उद्देश्य — सामाजिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, चिकित्सा संबंधी उद्देश्य
4. न्यास आय के साधन — वर्तमान में 11000/- ग्यारह हजार रुपये की पूंजी है. लोक न्यास के सदस्यों से प्राप्त शुल्क, दान दाताओं से प्राप्त धन राशि किसी भी सरकारी, गैर सरकारी संस्था, संगठन से प्राप्त धन राशि देशी एवं विदेशी परमार्थिक, सामाजसेवी संगठनों से प्राप्त होने वाली राशि, अन्य सामाजिक पारामार्थिक, सामाजिक, धार्मिक राजनैतिक से प्राप्त कोई राशि.

न्यास की चल अचल सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:-

चल संपत्ति- निरंक

अचल संपत्ति- निरंक

पेशी दिनांक 29-01-2024

(G-159)

सत्येन्द्र सिंह, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास जूनी इन्दौर, क्षेत्र जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश
क्र./1881/रीडर-1/2023.

जूनी इन्दौर, दिनांक 21 दिसम्बर 2023

(फार्म चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम-5(1) के अन्तर्गत]
आवेदक लायंस प्लनेट पारमार्थिक ट्रस्ट, पता-10, ज्ञान्स पार्क, टेलीफोन नगर, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा
पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे
परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक
से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत
मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं. अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित
अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा:-

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

लायंस प्लनेट पारमार्थिक ट्रस्ट पता-10, ज्ञान पार्क, टेलीफोन नगर, इन्दौर.

अचल संपत्ति - इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्र. 50 पर बहुमंजिला भवन शंभु विला पैकी का
प्रथम मंजिल का प्रकोष्ठ क्र. 101.

चल संपत्ति - 44,020/-

आज दिनांक / / 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-160)

घनश्याम धनगर, पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास अनुविभाग, मुरैना मध्यप्रदेश

प्र.क्र./01/13-14/बी-113.

श्री टी. आर. चेरिटेबिल ट्रस्ट, तवरधारी ब्लॉक,
जीवाजीगंज, मुरैना, द्वारा-सचिव, मोहनलाल गर्ग
पुत्र स्व. श्री तोताराम गर्ग, निवासी-मुरैना (म.प्र.)
.....आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन.....अनावेदक

(आदेश पारित दिनांक 10-02-2015)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक श्री रमेश चन्द्र गर्ग पुत्र श्री तोताराम गर्ग, निवासी तवरधारी
ब्लाक जीवाजीगंज, मुरैना के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन-पत्र
प्रस्तुत किया गया कि श्री टी. आर. चेरिटेबिल ट्रस्ट का पंजीयन लोक न्यास के अन्तर्गत किया जावे. आवेदक के आवेदन-पत्र
के साथ लेखिय डीड प्रस्तुत की गई थी. उक्त आवेदन के आधार पर न्यास के पंजीयन हेतु राजपत्र एवं स्थानीय (तहसीलदार
मुरैना) के माध्यम से उदघोषणा का प्रकाशन कराया गया. मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 3 (1) पृष्ठ क्र. 1130, दिनांक 21 मार्च, 2014
को प्रकाशित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ था. उक्त न्यास पंजीयन के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति अथवा किसी भी
संस्था की ओर से न्यायालय में कोई आपत्ति आदि प्राप्त नहीं हुई थी. जिस पर से इस न्यायालयीन प्रकरण क्र.
/01/13-14/बी-113 रमेश चन्द्र गर्ग पुत्र तोताराम गर्ग, निवासी तवरधारी ब्लाक जीवाजीगंज, मुरैना बनाम मध्यप्रदेश
शासन में पारित आदेश दिनांक 27-03-2014 से श्री टी. आर. चेरिटेबिल ट्रस्ट मुरैना का गठन किया गया था.

आवेदक श्री मोहनलाल गर्ग, सचिव, श्री टी. आर. चेरिटेबिल ट्रस्ट मुरैना के द्वारा अपने अभिभाषक श्री राहुल गर्ग के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 9(1) के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है। कि ट्रस्ट गठन के समय लिपिकीय त्रुटि से ट्रस्ट का नाम "श्री तोताराम राजेशकुमार गर्ग चेरिटेबिल ट्रस्ट, मुरैना (श्री टी. आर. चेरिटेबिल ट्रस्ट)" के स्थान पर श्री टी. आर. चेरिटेबिल ट्रस्ट मुरैना हो गया है, जिसे सही अंकित किये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदक के आवेदन-पत्र पर सभी न्यासियों को दिनांक 22-12-2014 को सूचना-पत्र जारी कर आपत्ति चाही गई। आवेदन-पत्र से जन साधारण को सूचित किये जाने हेतु सूचन-पत्र की प्रति तहसील मुरैना के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराई गई। सूचना-पत्र की एक प्रति स्थानीय समाचार-पत्र में प्रकाशित कराई गई। आवेदक अभिभाषक के द्वारा आम सूचना का प्रकाशन स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक हिन्दुस्तान एक्सप्रेस, मुरैना में दिनांक 29-01-2015 को कराया गया समाचार-पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई जो प्रकरण के संलग्न है।

आवेदक अभिभाषक के द्वारा सभी न्यासियों की ओर से सहमति पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। जो कि प्रकरण के संलग्न है। उक्त न्यास के नाम परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति इस न्यायालय को प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में उक्त न्यास का नाम सही किये जाने में कोई वैधानिक बाधा नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 9 (1) के अनुसार मूल नियमावली (डीड) में अंकित ट्रस्ट के नाम के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के अनुसार "श्री टी. आर. चेरिटेबिल ट्रस्ट मुरैना" का सही नाम "श्री तोताराम राजेशकुमार गर्ग चेरिटेबिल ट्रस्ट, मुरैना (श्री टी. आर. चेरिटेबिल ट्रस्ट)" अंकित किये जाने का आदेश पारित करता हूँ।

(G-161)

अशोक कम्ठान, अनुविभागीय अधिकारी।

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 04 जनवरी, 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2024/20.-प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति मर्या., मूडरा, वि.ख. खुरई, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 615, दिनांक 30-09-1995 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2016/927, दिनांक 16-03-2016 के द्वारा (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड-खुरई को परिसमापक नियुक्त किया गया था। इसके पश्चात् श्री देवेन्द्र कुमार चन्द्राकर, सहकारी निरीक्षक को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन / 2023/1789 सागर, दिनांक 28-08-2023 से संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। संस्था के सदस्यों की मांग एवं संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 16-12-2023 में संस्था को पुनर्जीवित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुए प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्ड्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/ 2016/927, दिनांक 16-03-2016 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति मर्या., मूडरा, वि.ख. खुरई, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 615, दिनांक 30-09-1995 को पुनर्जीवित करता हूँ, साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार सदस्यों की अस्थायी कमेटी का गठन तीन माह के लिये करता हूँ :-

क्र.	नाम-पिता/पति का नाम	पदनाम	क्र.	नाम-पिता का नाम	पदनाम
1.	श्रीमती गायत्री	अध्यक्ष	7.	श्रीमती बसंतीबाई	सदस्य
2.	श्री सत्यनारायण श्रीवास्तव	उपाध्यक्ष	8.	श्रीमती अर्चना तिवारी	सदस्य
3.	श्री अजय तिवारी	सदस्य	9.	श्री योगेश सोनी	सदस्य
4.	श्री खुमान सिंह	सदस्य	10.	श्रीमती प्रभाबाई	सदस्य
5.	श्री पंकज सिंह	सदस्य	11.	श्री दयाराम	सदस्य
6.	श्री गोविन्द सिंह	सदस्य			

संस्था का निर्वाचन 03 माह के अन्दर करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 4 जनवरी, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-162)

परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

क्र./परि./2023

सीहोर, दिनांक 20 दिसम्बर, 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बोरना, तहसील बुदनी, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1690, दिनांक 07-01-2013 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/परिसमापन/2023/1288, सीहोर दिनांक 15-09-2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रतिउत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बोरना, तहसील बुदनी, जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री विनोद जैन, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-163)

क्र./परि./2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कजलास, तहसील जावर, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1086, दिनांक 30-06-1996 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/परिसमापन/2023/1289, सीहोर दिनांक 15-09-2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रतिउत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कजलास, तहसील जावर, जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री विनय शर्मा, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-164)

क्र./परि./2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सिद्धीकगंज, तहसील जावर, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 823, दिनांक 11-10-1983 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/परिसमापन/2023/1290, सीहोर दिनांक 15-09-2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रतिउत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सिद्धीकगंज, तहसील जावर, जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री आर. एस. रैकवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-165)

क्र./परि./2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मगरदीकलां, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1776, दिनांक 07-05-2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/परिसमापन/2023/1345, सीहोर दिनांक 27-09-2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रतिउत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अभिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मगरदीकलां, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री एस. के. सक्सेना, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-166)

क्र./परि./2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बांदरियाहाट, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1758, दिनांक 03-03-2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/परिसमापन/2023/1287, सीहोर दिनांक 15-09-2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रतिउत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अभिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बांदरियाहाट, तहसील आष्टा, जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री वैभव सक्सेना, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-167)

क्र./परि./2023

सीहोर, दिनांक 22 दिसम्बर, 2023

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खानदौरपुरा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 957 तथा दिनांक 06-11-1989 है. संस्था सचिव द्वारा लिखित में दिया गया है कि संस्था विगत छः वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा भी संस्था के कार्य में रुचि नहीं ले रही हैं. ऐसी स्थिति में संस्था के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है.

अतः इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खानदौरपुरा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया। अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (क) एवं धारा 69-2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं सुधीर कैथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खानदौरपुरा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 957 तथा दिनांक 06-11-1989 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खानदौरपुरा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 957 तथा दिनांक 6-11-1989 को 03 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ। यह सहकारी संस्था 03 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमान की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 को जारी किया गया।

(G-168)

क्र./परि./2023

सीहोर, दिनांक 27 दिसम्बर, 2023

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसायटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसायटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

आजाद बुनकर सहकारी समिति मर्या., अलीपुर, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1541, दिनांक 05-05-2011 है। संस्था प्रशासक द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 15-12-2023 से कार्यालय को अवगत कराया गया है कि संस्था पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं है तथा कार्यालयीन रिकॉर्ड अनुसार संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर बंद है। ऐसी स्थिति में संस्था का प्रभार प्राप्त किया जाना संभव नहीं है। अतः इस प्रकार आजाद बुनकर सहकारी समिति मर्या., अलीपुर, तहसील आष्टा, जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया। अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (क) एवं धारा 69-2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, सुधीर कैथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के तहत आजाद बुनकर सहकारी समिति मर्या., अलीपुर, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1541, दिनांक 5-5-2011 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए आजाद बुनकर सहकारी समिति मर्या., अलीपुर, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1541, दिनांक 5-5-2011 को 03 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ। यह सहकारी संस्था 03 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमान की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2023 को जारी किया गया।

(G-169)

सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 जनवरी 2024-पौष 29, शक 1945

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)